भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3187**

दिनांक 22 मार्च, 2018 को उत्‍तर के लिए

**श्रमशक्ति संबंधी आवश्यकता का मूल्यांकन**

**3187. डा॰ विनय पी॰ सहस्रबुद्धेः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या अपने सभी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के अपने संगठनों के साथ मंत्रालय ने अपने स्वयं के कार्यकरण और प्रशासन हेतु श्रमशक्ति संबंधी आवश्यकता का कोई मूल्यांकन कराया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ख) क्या मंत्रालय और संबद्ध संगठनों के तहत विभिन्न पदों हेतु नए कार्मिकों की नियुक्ति से पहले वर्तमान में अल्प प्रयुक्त संसाधनो को पुनः कौशल प्रदान करने और उन्हें पुनः तैनाती प्रदान करने संबंधी विकल्प खोजने की परिपाटी अपनाई जाती है?

**उत्‍तर**

डॉ. वीरेंद्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) और (ख) : जी हां। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समय-समय पर जनशक्‍ति की आवश्‍यकता का आकलन करता है और उपयुक्‍त स्‍तरों पर अपेक्षित अधिकारी/कर्मचारी तैनात करने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) से अनुरोध करता है और विद्यमान मानव संसाधन का अभीष्‍ट उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मंत्रालय परामर्शदाता के रूप में महिलाओं एवं बच्‍चों से संबंधित मुद्दों के क्षेत्र में विशेषज्ञों की सेवाएं भी लेता है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अधीन कोई विभाग तथा सार्वजनिक क्षेत्र संगठन नहीं हैं।

\*\*\*\*\*